

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2081/2026

Gopal S/o Vishnu Ram, Aged About 20 Years, Resident Of Ward
No 20 Police Station Tibbi District Hanumangarh Rajasthan. (At
Present Lodged In Dist. Jail Hanumangarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Sanjay Raj Pandit
For Respondent(s)	: Mr. Narendra Gehlot, PP Mr. Ankur Limba

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 532/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 96 बी.एन.एस. व धारा 84 जे.जे. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त पीड़िता "क" के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में है और वर्तमान में भी पीड़िता प्रार्थी-अभियुक्त के साथ घर पर ही रह रही है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा पीड़िता "क" की बहन "स" के साथ कोई गलत काम नहीं किया गया है ना ही पीड़िता "क" के साथ कोई गलत काम किया। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व पीड़िता "क" व "स" के बयानों का अवलोकन किया गया। पीड़िता "क" ने स्वयं के साथ कोई गलत काम प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा नहीं करना बताया और अपनी इच्छा से जाना बताया।

लिव-इन-रिलेशनशिप के दस्तावेज पेश किए गए हैं। पीड़िता "स" के बयान में भी आरोप "क" के साथ गलत काम करने का लगाया था जबकि "क" स्वयं अपने साथ प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा कोई गलत काम करने से इंकार करती है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **गोपाल पुत्र श्री विष्णुराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J